

Date: ___/___/___
 407 पर्यावरण रक्षा अधिनियम 1986 के तहत ही
 गरीबों केन्द्र सरकार के सामान्य अधिकार
 क्या है

307 पर्यावरण रक्षा अधिनियम 1986 के अन्तर्गत
 केन्द्र सरकार के सामान्य अधिकार हैं

(1) राज्य सरकारी अधिकारियों एवं अन्य प्राधिकरणों
 के कार्यों का संयोजन

(2) पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम नियंत्रण
 एवं निवारण हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का
 नियोजन एवं उनका क्रियान्वयन

(3) पर्यावरण की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण
 विभिन्न स्तरों से प्रदूषकों को उत्सर्जन एवं

(4) उत्सर्जन के लिए मानकों का निर्धारण

(5) ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करना जिनके किसी
 भी उद्योग की स्थापना न करनी हो या
 किसी प्रकार के उद्योगों का प्रचालन नहीं
 होना है

(6) ऐसी दुर्घटनाओं को पर्यावरण प्रदूषण कर
 सकती हैं की रोकथाम तथा ऐसी
 दुर्घटनाओं के निवारण के उपायों के लिए
 प्रक्रिया एवं रक्षा के लिए उपाय निर्धारित करना

(7) खतरनाक तत्वों के रख रखाव के लिए
 प्रक्रिया एवं सुरक्षा के उपाय निर्धारित करना

(8) पर्यावरण प्रदूषण करने वाले पदार्थों तत्वों तथा
 उत्पादक प्रक्रियाओं का परीक्षण करना

(9) पर्यावरण प्रदूषण से सम्बन्धित शोध करना
 या जाँच प्रायोजित करना

Date: / /

पृ०५

गंगा कार्य योजना

३०५

केन्द्रीय सरकार ने 1985 में केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की। इसका उद्देश्य गंगा जल की गुणवत्ता का संरक्षण करना है यह पवित्र नदी तीन राज्यों 3050 किमी और पश्चिमी बंगाल से होकर गुजरती है। केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण के प्रमुख कार्य निम्न लिखित हैं।

- 1) प्रदूषित पदार्थों का निकासी हेतु के नाले तथा नालियों का नवीनीकरण ताकि वह गंगा में न पहुँच पायें।
- 2) अनुपयोगी पदार्थों तथा दूषित द्रव्यों को गंगा में जाने से रोकने के लिए नवीन शोधक नालों का निर्माण तथा वर्तमान पम्पिंग स्टेशनों और मल संयंत्रों का नवीनीकरण ताकि इससे ऊर्जा के साधन मिल सकें।
- 3) नये सामूहिक शौचालय बनाना तथा पुराने शौचालयों के पक्का में परिवर्तन करना।
- 4) विद्युत शक्ति का निर्माण
- 5) गंगा के घाटों का विकास करना
- 6) औद्योगिक प्रदूषण की समस्या पर विचार करना। इस गंगा प्राधिकरण ने अब कुल 68 औद्योगिक संस्थाओं को चुना है जो गंगा के जल को प्रदूषित करती हैं। प्राधिकरण द्वारा 27 निर्धारित स्थानों पर जल के नमूने लेने और उसकी गुणवत्ता परखने का कार्य किया जाता है।